न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 39/2022
CCMS NO. : 2022/72

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. सुखाराम पुत्र शिवलाल जाति– माली, निवासी– आगेवा मार्ग, फौजी चौराया जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

तारीख रजू:.04/03/2022

उपस्थितः– 1. श्री शंकरलाल तंवर, अधिवक्ता वादी।
2. सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 27/02/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त व हक सुदा की भूमि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 710 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बैरा, खसरा नम्बर 711 रकबा 7.5251 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.6151 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा के दृष्टि से वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जायेगा। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सहखातेदार के रूप बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के अपने हक हिस्से की भूमि को निर्विवाद एवं बेरोकटोक शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग एवं मुतालिक तमाम काश्त कार्य करता चला आ रहा है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जब तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा प्रथम बार [illegible] का नाम [illegible] किया, उस दरम्यान वादी का नाम रामसुख राजस्व रेकर्ड में अंकित [illegible] जो गलत है। वादी का सही एवं शुद्ध व पूरा नाम सुखाराम है तथा वादी को [illegible] में अपने जान पहचान व रिश्तेदारी में भी वादी को सुखाराम के नाम से पहचाना व पुकारा जाता है। जो वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, [illegible] कार्ड, बैंक डायरी से बखूबी साबित व प्रमाणित है। वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी की फोटो प्रतियां वादपत्र के साथ पेश है। जिन्हें वादपत्र का भाग माना जावे। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामसुख पुत्र शिवलाल दर्ज होने व वादी के अन्य

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:06 IST
Reason: SelfAttested

तावेजात् में वादी का नाम सुखाराम पुत्र शिवलाल दर्ज होने के कारण वादी को भी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड के उपयोग उपभोग में सरकारी एवं ईसरकारी कार्यो में बाधा एवं परेशानी उत्पन्न होती है तथा राज्य सरकार एवं न्द्र सरकार द्वारा किसानों की कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले रिलाभ बैंकों के जिरये दिये जाते है। इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में वादी ा नाम रामसुख पुत्र शिवलाल व अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम सुखाराम पुत्र शिवलाल दर्ज होने से सरकार द्वारा दिये जाने वाले योजनान्तर्गत केसानों के फायदे एवं लाभ से भी वादी को वंचित होना पड़ता है तथा अनेक कार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वादी का सही नाम सुखाराम पुत्र शिवलाल होने से वादी को अपने राजस्व रेकर्ड को दुरूस्ती करवाने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वादी की परिस्थितियाँ इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है, साथ ही उपरोक्त कृषि भूमि में वादी के अलावा सहहिस्सेदार है, लेकिन उक्त वादपत्र केवल वादी के नाम के दुरूस्तीकरण बाबत् है इसलिये सह–हिस्सेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया होने से उन्हे वादपक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 01.03.2022 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर वर्तमान में दिये जा रहे केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को पेन्शन योजना के तहत 6000/– रूपये हेतू अपना आवेदन पत्र ई मित्र पर दर्ज करवाने गया तब ई मित्र पर वादी का आवेदन दर्ज नहीं हुआ। वादी को अपने नाम की गलत प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादी अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम को दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय जैतारण के समक्ष उपस्थित हुआ तब तहसीलदार महोदय ने वादी का नाम उसके राजस्व रेकर्ड में न्यायालय के आदेश द्वारा दुरूस्त करवार्नें के लिये कहा। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 01.03.2022 को उत्पन्न होकर दिन ब दिन उत्पन्न हो रखा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण [illegible] द्वार जवाब दावा निम्नानुसार हैः– बिन्दु संख्या 1. राजस्व [illegible] नम्बर 710, 711, 712 रामसुख पुत्र शिवलाल की सहखातेदारी भूमि [illegible]। बिन्दु संख्या 2. स्वीकार है। बिन्दु संख्या 3. अस्वीकार है, उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम जरिये नामान्तरण संख्या 524 से इन्द्राज हुआ है जो कि वादी की खरीदशुदा भूमि है व शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करें। बिन्दु संख्या 4. वादी स्वयं साबित करें। बिन्दु संख्या 5. माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। बिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:06 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

5, 7 से 11 माननीय न्यायालय से सम्बधित है तथा बिन्दू संख्या 06 स्वयं साबित करें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय वेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम व मौजा- जैतारण, पटवार हल्का- जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक- जैतारण, ील जैतारण, जिला- पाली, राज0 के खसरा नम्बर 710 रकबा 0.0081 यर किस्म गै0मु0 बैरा, खसरा नम्बर 711 रकबा 7.5251 हैक्टेयर किस्म नी दोयम, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.6151 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम नामान्तरण के समय वादी का नाम सहवन से रामसुख पुत्र शिवलाल दर्ज कर ा गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, क्योंकि वादी का सही एवं वास्तविक म सुखाराम पुत्र शिवलाल है। अतः वादी के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण विष्टि रामसुख के स्थान पर वादी के सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि खाराम पुत्र शिवलाल इन्द्राज कि जावे। वादी द्वारा साक्ष्य शपथपत्र PW-1 में दपत्र के कथनों की पुष्टि की है। प्रदर्श-P1, प्रदर्श-P2, प्रदर्श-P3 ग्राम- जैतारण, टवार हल्का- जैतारण की जमाबन्दी सम्वत् 2077-2080 में रामसुख पुत्र शिवलाल बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-P4 वादी की बैंक पासबुक, प्रदर्श-P5 वादी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श-P6 वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श-P8 वादी का निर्वाचन पहचान पत्र, में वादी का सही एवं वास्तविक नाम सुखाराम पुत्र शिवलाल का अंकन है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वादी के शपथ पत्र से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज रामसुख पुत्र शिवलाल तथा वादी सुखाराम पुत्र शिवलाल वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा वादी का सही एवं वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुरूप सुखाराम पुत्र शिवलाल है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि रामसुख को विलोपित करवाते हुये उसके स्थान पर सही प्रविष्टि सुखाराम पुत्र शिवलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षित [illegible] धारा- 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 एवं धारा- 13[illegible] राज[illegible]न भू-राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से [illegible]ार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- जैतारण, पटवार हल्का- जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0 [illegible] खसरा नम्बर 710 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बैरा, खसरा नम्बर 711 रकबा 7.5251 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.6151 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि "*रामसुख*" को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:06 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

ी के नाम की सही एवं वास्तविक प्रविष्टि *"सुखाराम"* दर्ज करते हुये वादी राम पुत्र शिवलाल को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा अन्य विष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक् से जारी हो जो इस र्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम कर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:06 IST
Reason: SelfAttested